न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 59/2020

1 रामनिवास पुत्र चन्द्राराम।
2 बहादुर सिंह पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति जाट निवासीगण भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दीपसिंह पुत्र घीसाराम।
2 अर्जुनसिंह पुत्र घीसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी दारूवाली तन भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 उप पंजियक श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 पटवारी पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 05.11.2019 मुकदमा नम्बर 98/2018 बउनवानी रामनिवास वगैरह बनाम दीपसिंह वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 18.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 98/2018 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत उदघोषणा एवं वाद के साथ आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2,4,5,6,7,8,9 कुल किता 7 कुल रकबा 4.82 हैक्टेयर तन ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रेस्पोडेंट के नाम है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के है परन्तु उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अपने पिता व दादा के साथ से 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 8 रकबा 1.20 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 0.42 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 7 रकबा 0.12 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की भूमि 0.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 5 रकबा 1.63 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 0.73 हैक्टेयर पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 6 कुआं में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है परन्तु अप्रार्थीगण अपने प्रतिष्ठा, पद एवं राजनैतिक ऊंची पहुंच रखने व प्रार्थीगण की हैसियत कमजोर होने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के भूमि नाम न करवाकर प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं भूमाफिया गिरोह के लोगो को बेचान करने पर आमादा है इसलिए प्रतिबंधित फरमाया जावें। उक्त आशय के आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2/रेस्पोडेंट ने अभिकथित किया कि उक्त भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही पिता घीसा के नाम से दर्ज होकर उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई है जिनका उपयोग उपभोग करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक 05.11.2019 को निर्णय करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी संख्या 1 होशियार थे सम्पूर्ण परिवार उनके निर्देशन में जीवन यापन करता था। इसी का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाया है। मौका रिपोर्ट 15.07.2019 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पड़त है। रेस्पोडेंट संख्या 1 कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज रहा है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूलवाद में तय होना शेष है इससे पूर्व विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो एवं पक्षकारों मे वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये वाद के निर्णय तक मौके रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन प्रदान किया जावें। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 5 लगायत 9 कुल किता 5 कुल रकबा 3.40 हैक्टेयर की खातेदारी प्रथम सैटलमेंट के समय से रेस्पोडेंट के पिता घीसा पुत्र रामूराम जाट के नाम होकर काबित काश्त चले आ रहे है तथा घीसा की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेंट को जरिये विरासतन खातेदारी अधिकार मिले है। भूमि खसरा नम्बर 2,4 कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर सम्पूर्ण को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने खातेदार हीरसिंह पुत्र रूड़मल राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 20.01.1987 को खरीद की गई है। इस प्रकार उक्त भूमियों से अपीलांट प्रार्थीगण का कोई सम्बंध या सरोकार नही है। ना ही कभी रहा है ना ही कोई कब्जा काश्त है बल्कि उक्त भूमियों के रेस्पोडेंट रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होकर अपनी उक्त भूमियों पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनकर एवं दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत किये गये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दस्तावेजात का अवलोकन करके विधि सम्मत निर्णय आदेश दिनांक 05.11.2019 को पारित फरमाया गया है। परन्तु उक्त निर्णय आदेश दिनांक 05.11.2019 की अपील माननीय न्यायालय में दिनांक 28.07.2020 को प्रस्तुत की गयी है जो करीब 8 माह बाद प्रस्तुत की गयी है जो अपने आप में ही मियाद बाहर प्रस्तुत होकर खारिज होने योग्य है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 होशियार थे सम्पूर्ण परिवार उनके निर्देशन में जीवन यापन करता था। इसी का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज रहा है। मौका रिपोर्ट 15.07.2019 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पड़त है। इससे जाहिर होता है कि विवादित भूमि को पक्षकारों द्वारा काश्त नही किया जा रहा है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूलवाद में तय होना शेष है इससे पूर्व विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो एवं पक्षकारों मे वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये वाद के निर्णय तक मौके रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 2,4,5,6,7,8,9 तन ग्राम छिलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर